"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 मार्च 2012—फाल्गुन 24, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 मार्च 2012 (फाल्गुन 24, 1933)

क्रमांक-3936/विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2012

वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीगसढ़ विनियोग अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिये राज्य की संचित निधि में से 2,94,38,46,200/- रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उन राशियों को सम्मिलित करते हुए दो सौ चौरानबे करोड़, अड़तीस लाख, छियालीस हजार, दो सौ रुपये होता है वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान, अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, संदाय के अनुक्रम में आने वाले अनेक प्रभारों को चुकाने के लिये संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	0	1,62,000	1,62,000
03	पुलिस	राजस्व	33,18,20,000	0	33,18,20,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	100	0	100
05	जेल	राजस्व	6,00,000	0	6,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	60,00,000	0	60,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	62,02,000	0	62,02,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	99,77,000	0	99,77,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,58,95,000	0	1,58,95,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,15,70,000	0	12,15,70,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	19,46,99,700	0	19,46,99,700
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	60,00,000	0	60,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	14,31,61,000	0	14,31,61,000
		पूंजी	6,00,00,100	0	6,00,00,100
18	श्रम	राजस्व	72,40,200	0	72,40,200
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2,07,20,000	0	2,07,20,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	14,35,15,000	0	14,35,15,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	14,13,00,000	0	14,13,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	0	1,25,75,000	1,25,75,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,58,000	0	7,58,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	11,57,000	0	11,57,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	65,00,000	20,00,000	85,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	23,56,21,100	0	23,56,21,100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	21,65,000	0	21,65,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	2,02,40,000	0	2,02,40,000
36	परिवहन	राजस्व	79,60,000	0	79,60,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,96,000	0	2,96,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	34,85,73,000	0	34,85,73,000
		पूंजी	200	0	200
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	1,85,00,000	0	1,85,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	200	0	200
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	4,50,00,000	0	4,50,00,000
		पूंजी	100	0	100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	26,70,000	0	26,70,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	3,00,04,000	0	3,00,04,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	87,73,07,900	0	87,73,07,900
		पूंजी	200	0	200
65	विमानन विभाग	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	4,46,56,000	0	4,46,56,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,50,00,000	0	2,50,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	200	0	200
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	4,40,00,000	0	4,40,00,000
	योग -	**राजस्व**	**2,86,31,08,500**	**21,62,000**	**2,86,52,70,500**
		पूंजी	**6,60,00,700**	**1,25,75,000**	**7,85,75,700**
		वृहद योग	**2,92,91,09,200**	**1,47,37,000**	**2,94,38,46,200**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 12 मार्च, 2012

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.